मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-5

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई, 2005 (श्रावण 7, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 18 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में माननीय केन्द्रीय मंत्री, श्री प्रहलाद पटेल की उपस्थिति पर उनका स्वागत किया गया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 88 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 77 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 22 सूचनाएं 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा उन्होने प्रदान की है, जिसके लिये यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से प्रथम दस सूचनाओं को संबंधित सदस्यों द्वारा सदन में पढ़ा जायेगा, उसके बाद की अन्य सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी और इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

मै समझता हूं सदन इससे समहत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना क्षेत्र के ग्राम सुजानगढ़ी पुलिया तक के खंभो के तार चोरी होने,

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(2) पं. रमेश दुबे, सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले की चौरई क्षेत्र में स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों के पदों की पूर्ति न किये जाने,

(3) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर जिले में सूखाप्रभावित श्योपुर कराहल में सूखा राहत कार्य के बदले खाद्य एवं राशि न दिये जाने,

(4) श्री बहादुर सिंह,सदस्य ने प्रदेश के कृषकों को सोयाबीन बीज भंडार निगम या अन्य व्यापारियों द्वारा उपलब्ध कराये जाने,

(5) श्री रामनिवास रावत,सदस्य ने श्योपुर जिले के अनेक ग्रामों में गरीब किसानों की जमीन पर जबरिया अतिक्रमण होने,

(6) श्री इन्द्रजीत कुमार पटेल,सदस्य ने जनपद स्तर के उत्कृष्ट विद्यालयों में कम प्रतिशत ओर कमजोर छात्रों को प्रवेश से वंचित किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

सदन में पढ़ी हुई मानी गई सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(7) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य की होशंगाबाद एवं सीहोर जिले में नर्मदा/तवा नदी के किनारे रेत का अवैध रूप से अस्वीकृत क्षेत्र से उत्खनन करने,

(8) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य की मुरैना जिले बर्रेई (जौरा) में 10+2 हायर सेकेण्डरी स्कूल स्थापित किये जाने,

(9) श्री मनोहरलाल राठौर, सदस्य की हरदा संभाग के टिमरनी विधान सभा क्षेत्र में विद्युत विभाग द्वारा रखरखाव का कार्य ठीक से न किये जाने,

(10) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल वार्ड क्रमांक 43 न्यू धोबी घाट केवड़ा बाग की रोड पर अंधेरा रहने,

(11) श्री छोटेलाल सरावगी (खुद्दी भैया), सदस्य की शहडोल जिले के सोहागपुर क्षेत्र में सामान्य प्रशासन विभाग के स्पष्ट दिशा निर्देश के बावजूद अधिकारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड की जानकारी न दी जाने,

(12) श्री रविन्द्र सुका महाजन, सदस्य की बुरहानपुर जिले में कृषि उपज मंडी निधि में बनाई जा रही तीन सड़क मार्गों में अनियमितता होने,

(13) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य की रीवा ग्राम खर्रा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के समीप नशीली वस्तुओं का विक्रय होने,

(14) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य की वाणिज्य कर प्रदेश में 9.2 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत घोषित होने,

(15) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, सदस्य की मध्यप्रदेश में टाइगरों की संख्या में कमी होने,

(16) श्री प्रियव्रत सिंह,सदस्य की राजगढ़ जिले में नगरपालिकाओं में विद्युत व्यवस्था का कार्य अकुशल श्रमिकों से कराये जाने,

(17) श्री नागेन्द्र सिंह, सदस्य की स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्य के पदों पर गलत नियुक्तियां होने,

(18) श्री के.डी. देशमुख, सदस्य की बालाघाट जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के रिक्त पद भरे जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2004-2005,

(2) श्री कैलाश चावला, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा(3) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2001-2002 (वर्ष समाप्ति दिनांक 31 मार्च, 2002 के लिये) ;तथा

(ख) मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2001-2002,

पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधानसभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं. सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यान आकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर चारों ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर आधे घण्टे में चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी करने में सहयोग प्रदान करें।

मै समझता हूं सदन इससे समहत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(1) श्री सत्यदेव कटारे, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले के उमरी कस्बे में डकैतों द्वारा एक व्यक्ति की हत्या किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश देवड़ा, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री रामनिवास रावत, बंशीलाल जाटव, सदस्य ने शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीदी बंद कर कृषकों को भुगतान न किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, राज्यमंत्री, संसदीय कार्य ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) सर्वश्री मनोहर लाल राठौर, राजेश पटेल, सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य ने प्रदेश में पी.एम.टी. की काउन्सिलिंग प्रक्रिया में अनियमितता होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कमल पटेल, चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) सर्वश्री राजनारायण सिंह पुरनी, आरिफ अकील, राजेश पटेल, सदस्य ने इंदौर में आयोजित बंद के दौरान घटित घटनाओं के अपराधियों को गिरफ्तार न किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश देवड़ा, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों एवं अन्य विपक्षी सदस्यो ने शासन का संतोषजनक जवाब न आने एवं भाजपा के लोगों को बचाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया)

5. वक्तव्य

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, राजस्व मंत्री ने जुलाई 2005 में हुई अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने के संबंध में वक्तव्य दिया।

श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

5. वर्ष 2005-2006 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघव जी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2005-2006 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 10 सन् 2005) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार

(2) श्री दुर्गालाल विजय

(3) श्री रामलखन शर्मा
(4) श्री हरवंश सिंह
(5) श्री रामनिवास रावत
(6) डॉ. सुनीलम
(7) श्री गजराज सिंह सिकरवार

श्री राघवजी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2,3, तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने ।

खण्ड-1 विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 10 सन् 2005) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

7. घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि माननीय सदस्यों के अनुरोध, माननीय सदन के नेता तथा माननीय नेता प्रतिपक्ष की सहमति के अनुसार आज भोजन के अवकाश के बाद सदन की कार्यवाही नहीं होगी। आज की कार्यसूची का अशासकीय कार्य माननीय नेता प्रतिपक्ष की मंशानुसार अगले शुक्रवार को लिया जाएगा।

01.38 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 1 अगस्त, 2005 (श्रावण 10, 1927) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.